

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(63)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 19.02.2020 द्वारा श्रीमती निरमा बिश्नोई, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि बिरमसर, नोखा, बीकानेर का परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 21 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	18.04.2019 से 08.05.2019	21 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	21 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.09.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'मैमोरेण्डम' प्रावधानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+21) 81 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 03/03/2020

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/2019/21
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर